[1][प्ररूप सं. 10कख

(नियम 2ग या 11कक या 17क देखें)

रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन

निगमन/गठन के ब्यौरे	1	पैन	
	2	अनुभाग कोड	
	3	क्रियाकलाप की प्रकृति	पूर्त ☐ धार्मिक ☐ धार्मिक सह पूर्त ☐
	4	गठन का प्रकार	न्याय ☐ सोसाइटी ☐ कंपनी ☐ अन्य ☐
	4क	क्या आवेदक लिखत के अधीन स्थापित किया गया है?	हाँ ☐ नहीं ☐
	4ख	निगमन/सृजन/ रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
	4ग	रजिस्ट्रीकरण का निगमन संख्या	
	4घ	रजिस्ट्रीकरण/निगमन प्रदान करने वाला प्राधिकरण	
	5	आवेदक के उद्देश्य	
	6	क्या न्यास विलेख में यह खंड अंतर्विष्ट है कि न्यास अप्रतिसंहृरणीय है?	हाँ ☐ नहीं ☐
अन्य रजिस्ट्रीकरण	7	क्या आवेदक दर्पण पोर्टल पर या एफसीआरए अधिनियम के अधीन या आयकर अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन रजिस्ट्रीकृत है?	हाँ ☐ नहीं ☐
	7क	सुसंगत विधि/पोर्टल	
	7ख	रजिस्ट्रीकरण संख्या।	
	7ग	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
	7घ	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाला प्राधिकारी	
	7ड	तारीख जिसमें से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है	
	8क	क्या आवेदक द्वारा पूर्व में किए गए रजिस्ट्रीकरण के किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है?	हाँ ☐ नहीं ☐
	8ख	क्या धारा 10 आयकर अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत छूट का दावा करवता है	हाँ ☐ नहीं ☐

	9क	आवेदन की तारीख को सभी लेखक(कों)/संस्थापक(कों)/विन्यासक (न्यासी)/सोसाइटी के सदस्य/शासी परिषद के सदस्य/निदेशक(कों)/शेयर धारिता में 5% या अधिक धृति वाले शेयरधारक/पदाधिकारी(ओं) के ब्यौरेः								
		क्रम सं.	नाम	नातेदारी	शेयरधारक के मामले में हिस्सेदारी का प्रतिशत	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	मोबाइल नंबर	ईमेल पता

	[2][9ख	यदि (पंक्ति 9क में यथा उल्लिखित) व्यक्तियों में से कोई एक व्यष्टि नहीं है तो प्राकृतिक व्यक्तियों के निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें जो आवेदन की तारीख को ऐसे व्यक्ति के फायदाग्राही स्वामी (5 प्रतिशत या अधिक) हैं:						
		क्रम सं.	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड	पता	गैर व्यष्टि व्यक्ति (जैसा की पंक्ति 9क में वर्णित है) जिसमें हितकारी स्वामित्व है	फायदाग्राही स्वामित्व का प्रतिशत

1. आय–कर (छठा संशोधन) नियम, 2021 द्वारा **1.4.2021** से अंतःस्थापित।
2. आय–कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा **9.5.2022** से प्रतिस्थापित।

10	आवेदक द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित/प्रशासित/स्वामित्व वाले स्कूल/महाविद्यालय/विश्वविद्यायल/अस्पताल/योग संस्थान/धार्मिक स्थान/किसी अन्य संस्थान के ब्यौरे	क्रियाकलाप की प्रकृति	पता	क्या आवेदक के स्वामित्व म है? (हां/नहीं)	प्रभारी व्यक्ति		
					नाम	संपर्क सं.	ई–मेल आईडी

11 यदि आवेदक के पास धारा 11(4) के अर्थ में "न्यास के अधीन संपत्ति" के रूप में कारबार करने का उपक्रम है तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें

कारबार की प्रकृति	कारबार का पता	क्या पृथक लेखा बहियां रखी हैं?
		हां/नहीं

12 यदि आवेदक के पास कारबर के लाभ और अभिलाभ की प्रकृति में कोई आय है, तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें

क्या न्यास या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कारबार प्रासंगिक है?	कारबार की प्रकृति	कारबार का पता	क्या पृथक लेखा बहियां रखी है?
हां/नहीं			हां/नहीं

13 न्यास या संस्था द्वारा बैकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में आवेदन करते समय न्यास या संस्था द्वारा रखे गए सभी खातों के ब्यौरे जिसमें बैंकिंग (विनियमन) अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित किसी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित)

क्रम सं.	वित्तीय संस्थान का आईएफएस कोड	वित्तीय संस्थान का नाम	खाता संख्या

14 आवेदन द्वारा धारित सभी भूमि या भवन या दोनों के ब्यौरे

भूमि या भवनों का पता	वर्गमीटर में भूमि या भवनों का आकार	क्रय प्रतिफल संदत्त/संदेय	अर्जन के समय स्टॉम्प मूल्य	अर्जन का मोड (अर्जित/उपहार में प्राप्त)	अर्जन की तारीख

15 "सामान्य लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के उन्नयन" के मामले में, पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें आवेदन किया गया, के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें

(i) क्या इसमें व्यापार, वाणिज्य या कारबार करने की प्रकृति के क्रियाकलाप करने या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोई उपकर या शुल्क या कोई अन्य प्रतिफल अंतर्वलित है?

हां/नहीं

(ii) क्या यह क्रियाकलाप सामान्य लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के किसी ऐसे उन्नयन को करने के वास्तविक रूप में किया गया है;

हां/नहीं

(iii) ऐसे क्रियाकलाप से प्राप्तियों के ब्यौरः

क्र.सं.	कुल प्राप्तियां	उपरोक्त संदर्भित क्रियाकलाप (क्रियाकलापों) से कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत	टिप्पणियां, यदि कोई हों

आस्तियां

16	क्या पिछले निर्धारण वर्ष, जिसकी देय तारीख समाप्त हो चुकी है, के लिए आयकर विवरणी भरी है	हां		नही			
	आवेदन की तारीख को पंक्ति 17 से पंक्ति 25 में ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएँ (रकम रुपए में):						
17	कोरपस		18.	कोरपस से भिन्न अन्य निधि/आरक्षिती और अधिशेष			
19.	दीर्घकालिक देनदारियां		20	अन्य देनदारियां		[3][20क	कुल देनदारियां]
21	भूमि और भवन		22	अन्य अचल आस्तियां			

3. आय–कर (चौदहवा संशोंधन) नियम, 2022 द्वारा **9.5.2022** से अतःस्यापित ।

	23	धारा 44 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्ररूप या पद्धतियों में किए गए विनिधान या निक्षेप					
	24	उपरोक्त पंक्ति संख्यांक 17 में उल्लिखित से भिन्न अन्य				विनिधान/निक्षेप	
	25	अन्य आस्तियां					
	[4][25 क	कुल परिसंपत्तियां]					
आय के ब्यौरे	[5][26	पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों में प्राप्त आय, जिसमें आवेदन किया गया है:					
		पूर्व वर्ष	केंद्रीय या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनीयों से प्राप्त अनुदान	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान	अन्य आय	कुल]
धार्मिक क्रियाकलाप	27क	क्या संस्थान या निधि ने कोई धार्मिक प्रकृति का व्यय उपगत किया है					हाँ ☐ नहीं ☐
	27ख	यदि हां, तो पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों के निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें, जिसमें आवेदन किया गया है:					
		क्रम सं.	पूर्व वर्ष	कुल आय	धार्मिक प्रकृति का व्यय	कुल आय का प्रतिशत	

[4क][*मैं......................, पुत्र/पुत्री घोषणा करता हूं कि प्ररूप में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।*

मैं वचन देता हूं कि मैं तारीख/माह/वर्ष पर क्रियाकलापों को शुरू करने वाले खंड कोड 4क/12क/12ख/12ग/12ङ/14क के अधीन रजिस्ट्री/अनुमोदन (जो भी लागू हो, हड़ताल करने के लिए आवेदन कर रहा हूं और यह भी कि ऐसे क्रियाकलापों के शुरू होने के पश्चात किसी भी समय दिन/माह/वर्ष पर इस आवेदन को करने की तारीख को या उससे पहले समाप्त होने वाले किसी भी पिछले वर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उप–खंड (iv) या उप–खंड (v) या उप–खंड (iv) या उप–खंड (viक) या धारा 11 या धारा 12 की प्रयोज्यता के कारण कुल आय से बाहर रखा गया है।

मैं आगे यह भी वचन देता हूं कि न्यास/सोसायटी/गैर–लाभकारी कंपनी की शर्तों में या इसमें इसके पश्चात् किसी भी समय बनाए गए संस्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों में किसी भी परिवर्तन के साथ संसूचित करूंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं पैन धारक होने के कारण अपनी क्षमता के अनुसार इस प्ररूप को दाखिल कर रहा हूं (पदनाम) और मैं इस प्ररूप को दर्ज करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

तारीख

हस्ताक्षर

या (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 कोड के लिए)

मैं ...., पुत्र/पुत्री, घोषणा करता हूं कि प्ररूप में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

मैं इसमें इसके पश्चात किसी भी समय किए गए न्यास/सोसायटी/गैर–लाभकारी कंपनी या संस्थान का नियंत्रित करने वाले नियमों में किसी भी परिवर्तन के साथ संसूचित करने का वचन देता हूं। मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं स्थायी खाता संख्या .... के रूप में अपनी क्षमता में यह प्ररूप दाखिल कर रहा हूं (पदनाम) और यह कि मैं इस प्ररूप को दर्ज करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

तारीख

हस्ताक्षर

(जो लागू न हो उसे काट दें)]

[5]**[प्ररूप सं. 10कख भरने के लिए टिप्पण]**

1. आवेदक के डेटाबेस के अनुसार नाम, पता और संपर्क विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

2. पंक्ति सं. 2 में निम्नलिखित में से एक का चयन किया जाना चाहिए:

1	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उप खंड (i)	01
2	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उपखंड (iii)	02
3	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उपखंड (iv)	03
4	धारा 12क के उपखंड (1) के उपखंड (कग) के उपखंड (v)	04
[6][*4क*	*धारा 12क की उप–धारा (1) के खंड (कग) के खंड (vi) की मद (ख)*	*4क*]

4. आय–कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा **9.5.2022** से अंत:स्थापित।

4क. आय–कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **1.10.2023** से प्रतिस्थापित।

5. आय–कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा **9.5.2022** से प्रतिस्थापित।

6. आय–कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **1.10.2023** से प्रतिस्थापित।

5	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	05
6	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	06
7	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	07
8	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (ii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (viक) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	08
9	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	09
10	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	10
11	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	11
12	धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक का खंड (iii) (धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (viक) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए)	12
[7][*12क*	*धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप–खंड (बी) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप–खंड (iv) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)*	*12क*
12ख	*धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप–खंड (बी) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप–खंड (v) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)*	*12ख*
12ग	*धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप–खंड (बी) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप–खंड (iv) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)*	*12ग*
12घ	*धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) के उप–खंड (ख) (धारा 10 के खंड (23ग) के उप–खंड (viक) के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)*	*12घ*]
13	धारा 80छ की उप–धारा (5) के लिए पहले परंतुक का खंड (ii)	13
14	धारा 80छ की उप–धारा (5) के लिए पहले परंतुक का खंड (iii)	14
[7][*14क*	*धारा 80 छ की उप–धारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) का उप–खंड (ख)*	*14क*]

3. यदि आवेदक पंक्ति 2 में, कोड 13 या कोड 14 का चयन करता है तब पंक्ति 3 में "धार्मिक" विकल्प (क्रियाकलापों की प्रकृति) में लागू नहीं होगा।

4. पंक्ति संख्यांक 4(ख), 4(ग) और 4(घ) को केवल तभी भरा जाना आवश्यक है जब पंक्ति संख्या 4(क) में प्रश्न का उत्तर हां में हो।

5. पंक्ति संख्या 5 में, "आवेदक के उद्देश्य" के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक का चयन किया जाए:

(*i*) धार्मिक

(*ii*) निर्धनों को राहत

(*iii*) शिक्षा

(*iv*) चिकित्सीय राहत

(*v*) योग

(*vi*) पर्यावरण संरक्षण (जिसमें जलसंभर, वन और वन्य जीव भी हैं)

(*vii*) स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक हित की वस्तुओं का संरक्षण

(*viii*) सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का उन्नयन

6. पंक्ति संख्यांक 7 में प्रश्न का उत्तर हां होना चाहिए, यदि आवेदक आयकर अधिनियम या दर्पण पोर्टल या एफसीआरए, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। पंक्ति संख्यांक 7(क) से पंक्ति संख्यांक 7(ञ) भरी जानी अपेक्षित है, यदि पंक्ति संख्यांक 7 में प्रश्न का उत्तर हां हो। पंक्ति संख्यांक 4(ख), पंक्ति संख्यांक 4(घ) में उपलब्ध ब्यौरे निगमित/सृजित/रजिस्ट्रीकृत यहां उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या करने का आशय रखता है, तब नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक आवेदक द्वारा आज्ञापक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे आयकर अधिनियम के अधीन सभी रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में और दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण और एफसीआरए, 2010 के अधीन निम्न सारणी के अनुसार उपलब्ध कराए जाएं:

---

7. आय–कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **1.10.2023** से अंत:स्थापित।

सुसंगत विधि/पोर्टल	आज्ञापक/गैर–आज्ञापक	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रेशन प्रदान करने वाला प्राधिकरण	तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के खंड (iv)/(v)/(vi)/(viक) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	आज्ञापक, की रजिस्ट्रीकृत है	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश का संख्यांक	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण की अधिकारिता के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है।	पूर्व वर्ष के पहली तारीख जिससे अनुमोदन प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	आज्ञापक, यदि धारा 10(46) के अधीन अधिसूचित हो	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	वह तारीख जिससे ऐसी अधिसूचना प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क/कक/कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण	अनिवार्य, यदि रजिस्ट्रीकृत हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले रजिस्ट्रीकरण आदेश संख्यांक उपलब्ध कराए जाएं	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण की अधिकारिता के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है	पूर्व वर्ष की पहली तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण	अनिवार्य, यदि रजिस्ट्रीकृत हो	केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की संख्या	अधिसूचना की तारीख	केंद्रीय सरकार	पूर्व वर्ष की पहली तारीख जिससे अनुमोदन प्रभावी है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण	अनिवार्य, यदि रजिस्ट्रीकृत हो	अनुमोदन प्रदान करने वाले रजिस्ट्रीकरण आदेश का संख्यांक	आदेश की तारीख	आयकर प्राधिकरण की अधिकारिता के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है	तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है
एफसीआरए, 2010	अनिवार्य, यदि एफसीआरए के अधीन रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक उपलब्ध कराया जाए	आदेश की तारीख	गृह मंत्रालय	तारीख, जिससे अनुमोदन प्रभावी है
नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	आज्ञापक, यदि आवेदक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त करता है या आशय रखता है	रजिस्ट्रीकरण सख्यांक उपलब्ध कराया जाए	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	नीति आयोग	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी है
अन्य	आज्ञापक, यदि आवेदक के पास आयकर अधिनियम के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण है	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक उपलब्ध कराया जाए	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	समुचित प्राधिकरण	वह तारीख जिससे ऐसा अनुमोदन प्रभावी है

7. पंक्ति संख्यांक 9क के लिए "संबंध", स्तम्भ में निम्नलिखित में से एक या अधिक का चयन किया जाएगाः

   क. लेखक

   ख. संस्थापक

   ग. व्यवस्थापक

   घ. न्यासी

   ङ. सोसाइटी के सदस्य

   च. शासी परिषद् के सदस्य

   छ. निदेशक

   ज. 5 प्रतिशत या अधिक शेयर धारण करने वाले

8. पंक्ति 9क और पंक्ति 9ख में विशिष्ट पहचान संख्यांक के स्तंभ निम्नलिखित भरा जाना चाहिएः

क. यदि स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक उपलब्ध है तो वही आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाएगाः

पहचान	कोड
स्थायी खाता संख्यांक	1
आधार संख्यांक	2

ख. यदि न तो स्थायी खाता संख्यांक और न ही आधार संख्यांक उपलब्ध हों, तो निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिएः

पहचान का प्रकार	कोड
जहां व्यक्ति निवास करता है उस देश की करदाता पहचान संख्या	3
पासपोर्ट संख्याक	4
निर्वाचक फोटो पहचान संख्याक	5
चालन अनुज्ञाप्ति संख्यांक	6
राशन कार्ड संख्यांक	7

9. पंक्ति संख्यांक 10 में, "क्रियाकलाप की प्रकृति" में निम्नलिखित में से एक चयनित किया जाना आवश्यक हैः

क. स्कूल

ख. महाविद्यालय

ग. विश्वविद्यालय

घ. अस्पताल

ङ. योग संस्थान

च. धार्मिक संस्थान

छ. कोई अन्य संस्था

10. पंक्ति संख्यांक 11 और पंक्ति संख्यांक 12 में, "कारबार की प्रकृति" स्तंभ में कारबार कोड भरा जाना चाहिए।

11. पंक्ति 2 में कोड 13 या 14 का चयन करता है तो पंक्ति संख्यांक 27क और 27ख भरे जाएं।

12. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने अपेक्षित हैंः

i. जहां आवेदक किसी लिखत के अधीन सृजित, स्थापित है, वहां लिखत की स्वप्रमाणित प्रतिलिपिः

ii. जहां आवेदक किसी लिखत के अधीन से अन्यथा सृजित, स्थापित है, वहां आवेदन के सृजन का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रतिलिपि;

iii. यथास्थिति, कंपनी रजिस्ट्रार या फर्म और सोसाइटी या लोक न्याय रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि;

iv. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2020 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपित, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

v. आयकर अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कक या धारा 12कख या धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, यदि कोई हो;

vi. जहां वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, के पूर्व किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों के दौरान आवेदक के अस्तित्व में रहा है, वहां ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों के संबंध में आवेदक के वार्षिक लेखाओं की प्रतिलिपियां;

vii. जहां वित्तीय वर्ष के पूर्व किसी वर्ष या वर्षों, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, आवेदन अस्तित्व में रहा हो, वहां ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों के संबंध में आवेदक के वार्षिक लेखाओं की स्वप्रमाणित प्रतियां (पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक तीन वर्ष से अधिक न हो, जिसमें उक्त आवेदन उक्त किया गया है) जिसके लिए ऐसे लेखा बनाए गए हैं;

viii. जहां धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार, आवेदक द्वारा कारबार उपक्रम धारित किया गया है और आवेदक, वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, के पूर्व किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित ऐसे कारबार उपक्रम के वार्षिक लेखाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां, जिसके लिए ऐसे लेखा बनाए गए हैं। (जिसमें उक्त आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक तीन वर्ष से अनधिक हो) और पंक्ति संख्यांक 2 में 13 या 14 से भिन्न कोड चयन किए जाने की दशा में, ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रतिलिपिः

ix. जहां धारा 11 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार, आवेदक द्वारा कारबार उपक्रम धारित किया गया है और आवेदक, वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, के पूर्व किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है, ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित ऐसे कारबार उपक्रम के वार्षिक लेखाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां, जिसके लिए ऐसे लेखा बनाए गए हैं (जिसमें उक्त आवेदन किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक तीन वर्ष से अनधिक हो) और पंक्ति संख्यांक 2 में 13 या 14 से भिन्न कोड चयन किए जाने की दशा में, ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि;

x. दत्तक ग्रहण या उद्देश्यों के उपांतरण की दशा में, जहां पंक्ति संख्यांक 2 में कोड 4 चयन किया जाता है, साक्ष्य देने वाले दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि; और

xi. न्यास या संस्था या निधि के क्रियाकलापों पर टिप्पण।